## प्रेस–नोट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों पर 1200 से अधिक मतदाता होने पर उनको तोड़कर नया मतदेय स्थल उसी भवन में स्थापित करने तथा भवन जर्जर होने पर नया मतदेय स्थल उसी क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भवन में स्थापित कर, प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूची अनुमोदन हेतु मांगी गई थी। जनपद की 05 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मतदेय स्थलों की प्रस्तावित सूचियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन हेतु भेजा गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन मतदेय स्थलों की सूचियों को अनुमोदित कर दिया गया है। तदोपरान्त विधानसभावार मतदेय स्थलों की संख्या निम्नवत् हो गई है–

| विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम | अनुमोदित किए गए मतदेय स्थलों की संख्या |
|---|---|
| 34–स्वार | 377 |
| 35–चमरव्वा | 374 |
| 36–बिलासपुर | 412 |
| 37–रामपुर | 454 |
| 38–मिलक (अ.जा.) | 441 |
| **कुल योग** | **2058** |

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
रामपुर।

## कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, रामपुर।

संख्या: 822 / नि0 / 2021 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

**प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2– पुलिस अधीक्षक महोदय, रामपुर को मतदेय स्थलों की सूचियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

3– माननीय सांसद / विधान मण्डल सदस्यों को मतदेय स्थलों की सूचियों सहित सादर सूचनार्थ।

4– समस्त जिलाध्यक्ष, मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को मतदेय स्थलों की सूचियों सहित सूचनार्थ प्रेषित।

5– समस्त उप जिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद रामपुर को मतदेय स्थलों की सूची सहित इस निर्देश के साथ कि उक्त मतदेय स्थलों की सूची का बृहद प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

6– समस्त खण्ड विकास अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, जनपद रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रामपुर को मतदेय स्थलों की सूचियों सहित इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त सूचियों को डी.ई.ओ. पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8– जिला सूचना अधिकारी, रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रेस–नोट को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

9– संवाददाता, दैनिक जागरण / अमर उजाला / हिन्दुस्तान का इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त प्रेस नोट को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

10– जिला निर्वाचन कार्यालय रामपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
रामपुर।

D:\Neeraj_2022\SPGLetters